संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/17.

भोपाल, दिनांक 07/01/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविधालय म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– **SARS CoV-2 Virus** की नई प्रजाति की जांच एवं एपीडिमियोलोजिकल सर्वेलेन्स हेतु मानक एल्गोरीदम के संबंध में।

संदर्भः– 1. संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2077 दिनांक 22/12/2020
2. संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2093 दिनांक 29/12/2020
3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. **Z28015/359/2020-EMR** दिनांक 31/12/2020

विषयांतर्गत लेख है कि यूनाईटेड किंगडम में प्रतिवेदित SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित पत्रों के द्वारा SARS CoV2 की नई प्रजाति की एपीडिमियोलोजिकल सर्वेक्षण तथा जिनोमिक सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश दिए गए है। भारत सरकार, से प्राप्त Algorithm for SOP for Epidemiological Surveillance & Response in the context of New Variant of SARS CoV2 virus detected in the United Kingdom के आधार पर निर्मित सरल एल्गोरीदम सुलभ संदर्भ एवं SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति की जांच एवं एपीडिमियोलोजिकल हेतु संलग्न प्रेषित है।

निर्देशित किया जाता है कि संलग्न मानक एल्गोरीदम अनुसार SARS CoV-2 Virus की नई प्रजाति की जांच एवं एपीडिमियोलोजिकल सर्वेलेन्स की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः **SARS CoV-2 Virus** की नई प्रजाति की जांच/सर्वेलेन्स हेतु मानक एल्गोरीदम

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/18.

भोपाल, दिनांक 07./01/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. निदेशक, एम्स, भोपाल, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त जिला सर्वेलेन्स अधिकारी, म.प्र।
10. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
11. समस्त जिला एपीडिमियोलोजिस्ट, एन.एच.एम, म.प्र।
12. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

SARS CoV2 के नवीन प्रजाति के एपीडिमियोलोजिकल सर्वेलेन्स हेतु एल्गोरीदम

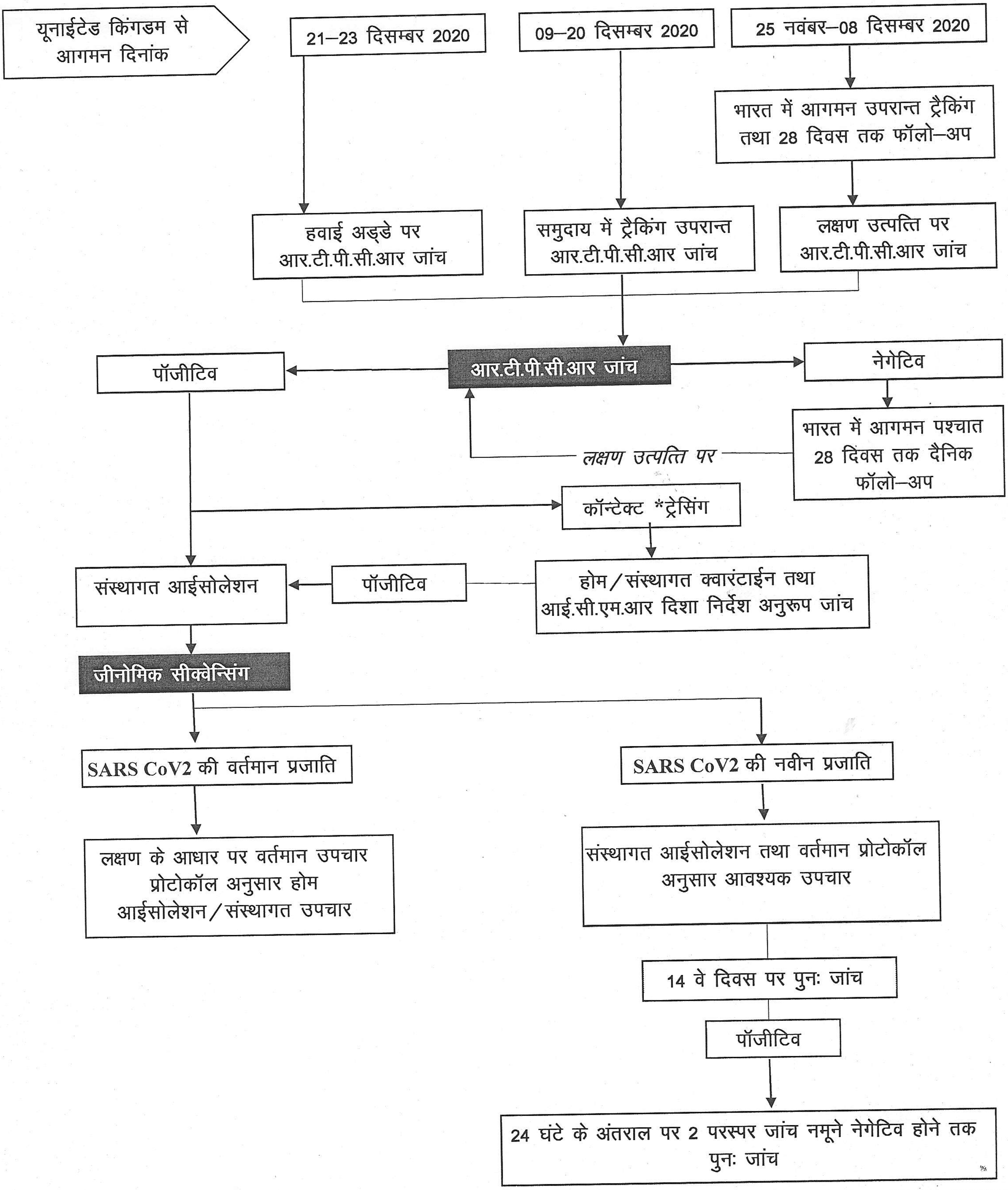

*कॉन्टेक्टस् में हवाईयान में 3 पंक्ति आगे, 3 पंक्ति पीछे तथा एकरूप पंक्ति में बैठे समस्त सह यात्री तथा केबिन–क्रू तथा समस्त सामुदायिक उच्च जांखिम संपर्क व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये। (**Guidelines for contact tracing of COVID-19 cases in community settings, available at https;//ncdc.gov.in/showfile.php?lid=570**)

इस एल्गोरीदम के अंतर्गत आने वाले किसी भी यात्री द्वारा अन्य राज्य की यात्रा करने पर, इसकी तत्काल सूचना संबंधित राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारी को दी जाये।

यदि कोई यात्री की ट्रेकिंग नही हो पाती है अथवा फॉलो–अप के दौरान यात्री के न मिलने पर, जिला सर्वेलेन्स अधिकारी द्वारा तत्काल राज्य सर्वेलेन्स अधिकारी, आई.डी.एस.पी. को सूचित किया जाये।